अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-03 /2013

ए0सी0 शर्मा,
आई.पी.एस.

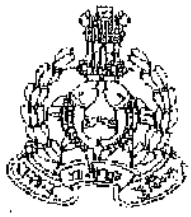

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजनवरी 17 ,2013

विषय- हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

अपराधों की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। आप सहमत होगें कि विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होने से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा तथा अपराधों पर नियंत्रण भी होगा। इसका समाज में अच्छा संदेश जायेगा।

एडीजी-12/2001 दि0 15.12.01
डीजी परिपत्र सं0:73/07 दि0 31.8.07
डीजी परिपत्र सं0:15/08 दि0 07.2.08
डीजी परिपत्र सं0:05/11 दि0 13.2.11
डीजी-7-एस-एचसी-32(4)/10 दि0 8.9.12
डीजी-50/2012 दिनांक 26.10.2012

2. विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रारम्भ में मुख्य 03 बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:-

(1.) अपराध के घटनास्थल (SOC) को सुरक्षित करने, उसकी फोटोग्राफी कराने व फील्ड यूनिट से साक्ष्य एकत्रित कराने।

(2.) धारा 160 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस देकर 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान के अभिलेखीकरण के साथ-साथ 161(3) दं0प्र0सं0 में दिये गये प्राविधान के अनुसार उसकी आडियो-वीडियो रिकार्डिंग करना।

(3.) विवेचना में पर्यवेक्षक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता।

3. उपरोक्त 03 बिन्दुओं का अनुपालन हॉलकि समस्त विवेचनाओं में होना चाहिए परन्तु प्रारम्भ में हत्या और बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना में इनका क्रियान्वयन कराया जायेगा। इन तीन कार्य-प्रणालियों का स्थायीकरण होने के उपरान्त इनका विस्तार अन्य जघन्य विवेचनाओं के लिए भी किया जायेगा।

4. इस उद्देश्य से हत्या और बलात्कार की विवेचनाओं में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायः-

(i) घटना की जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहले पहुँचने (First Responder) वाले पुलिस कर्मी घटना स्थल के इर्द-गिर्द येलो टेप लगाना सुनिश्चित करेंगें एवं किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को घटना स्थल में प्रवेश करने से रोकेंगें।

(ii) घटना स्थल पर Field Unit Team पहुँचकर घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य विवेचक की मौजूदगी में एकत्रित करेंगें।

(iii) घटनास्थल की फोटोग्राफी करायी जाय। फोटोग्राफों की एक प्रति केस डायरी के साथ और दूसरी एस0आर0 फाइल के साथ रखी जाय।

(iv) गवाहों का बयान अंकित करने हेतु द0प्र0सं0 की धारा 160(1) के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप में नोटिस निर्गत करके गवाहों को तामील कराकर बयान अंकित करने के लिए थाने पर बुलाया जाय। किसी भी दशा में महिलाओं एवं बच्चों को बयान अंकित कराने हेतु थाने पर न बुलाया जाय, बल्कि उनका बयान उनके निवास स्थान पर अंकित किया जाय।

(v) दं0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत गवाहों के बयान का आडियो / वीडियों (इलेक्ट्रानिक साधनों से) बनाने का प्राविधान है। प्रत्येक गवाहा के बयान की आडियो/वीडियों रिकार्डिंग की जाय। विवेचना में एकत्रित सभी बयानों की आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की एक प्रति **Compact Disc** पर अथवा **DVD** पर दो गवाहों की उपस्थिति में write करके केस डायरी के साथ तथा उसकी दूसरी **CD/DVD** एस0आर0 पत्रावली पर रखी जाय।

(vi) महिलाओं के बलात्कार की घटनाओं में पीड़िता का तत्काल 164(A) दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी कराया जाय। बलात्कार की घटनाओं में पीड़ित महिला का बयान महिला अधिकारी के समक्ष अंकित करें और संवेदनशीलतापूर्वक पीड़िता से प्रश्न करते समय उसकी मर्यादा एव गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाय।

(vii) बलात्कार की घटनाओं में यदि एफ0आई0आर0 पीडिता द्वारा नहीं लिखायी गयी हो तो पीड़िता का बयान धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथासम्भव अभिलिखित कराया जाय।

(viii) यदि पीड़िता अल्प वयस्क महिला हो तो Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

(ix) बलात्कार की घटनाओं में अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त तत्काल 53(A) दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।

5. हत्या एवं बलात्कार की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचकगण अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करते हुए Confidential रिपोर्ट बनाकर क्षेत्राधिकारी को, क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक को तथा अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पास भेजेगें। विवेचक, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी व साक्ष्य के आधार पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक किसी भी अभियुक्त का नाम विलोपित करने, नाम बढ़ाने, अपराध की धारा घटाने, बढ़ाने एवं आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट भेजने पर अपना स्पष्ट मत अंकित करेंगें। उक्त रिपोर्ट इसी क्रम में वापस लौटेगी। क्षेत्राधिकारी सुनिश्चित करेगें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये मत को औपचारिक रूप से पत्र के द्वारा विवेचक को उपलब्ध कराया जाय। विवेचक उस मत के आधार पर आरोप-पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

6. यदि घटनास्थल पर घटना से सम्बन्धित थाने के अतिरिक्त अन्य थानों व इकाईयों पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी भी पहुँचते हैं और उन्हें घटना के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वह जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से घटना से सम्बन्धित थाने को प्रेषित करेंगें ताकि इसका समायोजन विवेचना में किया जा सकें।

7. विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **injury report** व **PM report** में विरोधाभास होने पर विवेचक क्षेत्राधिकारी के माध्यम से तथा यदि विवेचक क्षेत्राधिकारी पद का अधिकारी है तो अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राय लेने के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ में विशेषज्ञ के पास भेजना सुनिश्चित करेगें।

8. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। इस आदेश एवं समस्त संलग्नकों की एक प्रति प्रत्येक थाने पर अपने स्तर से वितरित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0सी0 शर्मा) 16/1

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से), उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से कि थानों पर आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरा और पर्याप्त **DVD/CD** के लिए क्रमशः "26-पुलिस साज-सज्जा" व "08-कार्यालय व्यय" में धन उपलब्ध करायें।

प्रतिलिपि-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ कि समस्त फील्ड यूनिट्स के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में येलो टेप थानों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराऐं।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
4.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।
5.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4.अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ0प्र0 लखनऊ।

गवाह को नोटिस

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन)

सेवा में,

.....

.....

.....

फोन नं0 .....

क्योंकि यह प्रतीत होता है कि आप निम्नलिखित मामले की परिस्थितियों से परिचित हैं जिसकी मैं दंड प्रक्रिया संहिता1973 के अध्याय 12 के अधीन तफतीश कर रहा हूँ। अतः आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप .....(तारीख) को.....(बजे) ..... (स्थान) पर इस मामले के सिलसिले में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हों।

मामले का ब्योरा :

मु0अ0सं0 :

धारा :

थाना :

जनपद :

तफतीश अधिकारी के हस्ताक्षर :

तफतीश अधिकारी का नाम :

पदनाम :

पता :

फोन नं0 :

तारीख :

नोटः-महिलाओं एवं 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बयान उनके निवास स्थान पर ही अंकित किया जाएगा।

NOTICE TO WITNESS
(Under Section 160 Cr.PC)

To,

.....
.....
.....

Ph. No. .....(if available)

Whereas it appears that you are acquainted with the circumstances of the case noted below, which I am now investigating under Chapter XII of the Code of Criminal Procedure 1973, you are hereby required to attend before me on the ..... day of ..... 201, at (time) ..... at (Place) .... for the purpose of answering certain questions relating to the case.

Particulars of the case :

Case Crime No. .....
U/S .....
P.S. .....
Distt. .....

Signature of I.O. :
Name of I.O. :
Designation :
Address :
Phone No. :

Date:

search such person, and place in safe custody all articles, other than necessary wearing-apparel found upon him and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person.

(2) Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency.

52. Power to seize offensive weapons.—The officer or other person making any arrest under this Code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person, and shall deliver all weapons so taken to the Court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this Code to produce the person arrested.

53. Examination of accused by medical practitioner at the request of police officer.—(1) When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.

(2) Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by, or under the supervision of, a female registered medical practitioner.

[1][*Explanation.*—In this section and in Sections 53-A and 54,—

(a) "examination" shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case;

(b) "registered medical practitioner" means a medical practitioner who possess any medical qualification as defined in clause (h) of Section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and whose name has been entered in a State Medical Register.]

[2][**53-A. Examination of person accused of rape by medical practitioner.**—(1) When a person is arrested on a charge of committing an offence of rape or an attempt to commit rape and there are reasonable grounds

1. Subs. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005, Sec. 8, for the following Explanation:

"*Explanation.*—In this section and in Section 54, 'registered medical practitioner' means a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined in clause (h) of Section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and whose name has been entered in a State Medical Register".

2. Ins. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005, Sec. 9.

सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

52. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति—वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा—(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

[1][*स्पष्टीकरण*—इस धारा में और धारा 53-क और धारा 54 में—

(क) "परीक्षा" में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी० एन० ए० प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।]

[2][**53-क. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा**—(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 8 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित—

"*स्पष्टीकरण*—इस धारा में और धारा 54 में 'रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता है तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।"

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित

for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or by a local authority and in the absence of such a practitioner within the radius of sixteen kilometers from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner, acting at the request of a police officer not below the rank of a sub-inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.

(2) The registered medical practitioner conducting such examination shall, without delay, examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely,—

(i) the name and address of the accused and of the person by whom he was brought;

(ii) the age of the accused;

(iii) marks of injury, if any, on the person of the accused;

(iv) the description of material taken from the person of the accused for DNA profiling; and

(v) other material particulars in reasonable detail.

(3) The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at.

(4) The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report.

(5) The registered medical practitioner shall, without delay, forward the report of the investigating officer, who shall forward it to the Magistrate referred to in Section 173 as part of the documents referred to in clause (a) of sub-section (5) of that section.]

54. Examination of arrested person by medical practitioner at the request of the arrested person.—[1][(1)] When a person who is arrested, whether on a charge or otherwise, alleges, at the time when he is produced before a Magistrate or at any time during the period of his detention in custody that the examination of his body will afford evidence which will disprove the commission by him of any offence or which will establish the commission by any other person of any offence against his body, the Magistrate shall, if requested by the arrested person so to do direct the examination of the body of such person by a registered medical practitioner unless the Magistrate considers that the request is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice.

[2][(2) Where an examination is made under sub-section (1), a copy of the report of such examination shall be furnished by the registered medical practitioner to the arrested person or the person nominated by such arrested person.]

1. Section 54 renumbered as sub-section (1) and after so renumbered sub-section (1) sub-section (2) inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005, Sec. 10.
2. Ins. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005, Sec. 10.

यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्—

(i) अभियुक्त का, और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) अभियुक्त की आयु;

(iii) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों;

(iv) डी० एन० ए० प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; और

(v) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।]

54. गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा—[1][(1)] जब कोई व्यक्ति, जो चाहे किसी आरोप पर या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय या अभिरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को नासाबित कर देगा या जो यह साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था तो यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार नहीं है कि प्रार्थना तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन के लिए की गई है, तो वह यह निदेश देगा कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए।

[2][(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई परीक्षा की जाती है, वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।]

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 10 द्वारा धारा 54 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित तथा पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् उपधारा (2) अन्तःस्थापित
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित

officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality.]

(2) In each of the cases mentioned in clauses *(a)* and *(b)* of the proviso to sub-section (1), the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section, and, in the case mentioned in clause *(b)* of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the State Government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated.

158. Report how submitted.—(1) Every report sent to a Magistrate under section 157 shall, if the State Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the State Government, by general or special order, appoints in that behalf.

(2) Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

159. Power to hold investigation or preliminary inquiry.—Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation, or, if he thinks fit, at once proceed, or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in the manner provided in this Code.

160. Police officer's power to require attendance of witnesses.—(1) Any police officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case ; and such person shall attend as so required :

Provided that no male person under the age of fifteen years or woman shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides.

(2) The State Government may, by rules made in this behalf, provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person, attending under sub-section (1) at any place other than his residence.

161. Examination of witnesses by police.—(1) Any police officer making an investigation under this Chapter, or any police officer not below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section ; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records.

[1][*Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means.*]

162. Statements to police not to be signed—Use of statements in evidence.—(1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it ; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided, at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made :

1. Inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009), s. 12.

सम्बन्धी या क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जायेगा।]

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड *(क)* और *(ख)* में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परन्तुक के खण्ड *(ख)* में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा।

158. रिपोर्ट कैसे दी जाएगी.—(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

159. अन्वेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति.— ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा :

परन्तु किसी पुरुष से जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

161. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा.—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से सम्बन्धित उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन को पृथक और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

[1][*परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।*]

162. पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना—कथनों का साक्ष्य में उपयोग.—(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथा-उपबन्धित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा :

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 5) की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused, and with the permission of the Court, by the prosecution, to contradict such witness in the manner provided by Section 145 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) ; and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination.

(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause (1) of Section 32 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), or to affect the provisions of Section 27 of that Act.

Explanation.—An omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in sub-section (1) may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact.

COMMENT

Appreciation of evidence—Violation of natural justice—Acquittal of.—In absence of video cassette duplicate copy not made available to Court, it was held that it was clear violation of principles of natural justice and prejudice caused to accused thus conviction was wholly unsustainable. [*Salman Khan* v. *State of Rajasthan*, 2002 (2) C R J 133 (2) (134) (Raj)].

163. No inducement to be offered.—(1) No police officer or other person in authority shall offer or make, or cause to be offered or made, any such inducement, threat or promise as is mentioned in Section 24 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

(2) But no police officer or other person shall prevent, by any caution or otherwise, any person from making in the course of any investigation under this Chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will : Provided that nothing in this sub-section shall affect the provisions of sub-section (4) of Section 164.

164. Recording of confessions and statements.—(1) Any Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this Chapter or under any other law for the time being in force, or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial :

Provided that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a Magistrate has been conferred under any law for the time being in force.

(2) The Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him ; and the Magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily.

(3) If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the Magistrate states that he is not willing to make the confession, the Magistrate shall not authorise the detention of such person in police custody.

परन्तु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनःपरीक्षा में भी, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के उपबंधों के अन्दर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।

टिप्पणी

साक्ष्य का मूल्यांकन—नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन—दोषमुक्ति.—वीडियो कैसेट की डुप्लीकेट प्रति न्यायालय को उपलब्ध नहीं करायी गई तो, ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ था, इस प्रकार दोषसिद्धि पूर्णतः अपोषणीय थी। [*सलमान खान* वि० *राजस्थान राज्य*, 2002 (2) सी० आर० जे० 133 (134) (राज०)]।

163. कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना—(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा।

(2) किन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी।

164. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना—(1) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है :

परन्तु किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है; और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) Any such confession shall be recorded in the manner provided in Section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession ; and the Magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect :

"I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him.

(Signed) A.B.
Magistrate".

(5) Any statement (other than a confession) made under sub-section (1) shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is, in the opinion of the Magistrate, best fitted to the circumstances of the case ; and the Magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded.

(6) The Magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the Magistrate by whom the case is to be inquired into or tried.

COMMENTS

Confessional statement—In facts and circumstances—Admissible against co-accused also and said to be voluntarily made.—When the confessional statement was recorded, all Police Officials were kept out of the court premises containing five paragraphs which depicts entire incident in sufficient details. In the circumstances the Court find it difficult to agree with learned trial Court that the statement was not voluntarily made. [*State of M.P. v. Bhagwan Singh*, 2002 Cri LJ 3169 (3172) : 2002 (3) MPLJ 67 : 2002 (3) MPHT 130 (MP) (DB). *See also Parmananda Pegu v. State of Assam*, 2004 (5) SLT 360 : 2004 (6) Supreme 343 (SC)].

Non-compliance of—Not curable by examining Magistrate as witness.—The substantial aspect of Section 164 of Cr.PC has not been complied with and even after the examination of the Magistrate as a witness, the defect that exists in the confession has not been cured under Section 463 of Cr.PC. The confession was not duly recorded. [*Gobardhan v. State of Jharkhand*, 2002 Cri LJ 3301 : 2002 (3) East Cri C 157 : 2002 (2) J C R 137 : 2002 (2) C C R 436 (Jhar) (DB)].

Statement under Section 164.—In any event disclosure of names in the dying declaration on a particular date seems to be of a definite significance. But before anything further be it noted that though such a declaration was taken down, but by reason of the efforts of the doctors attending, the victim survived and as such the statement made need not stand the strictest scrutiny of dying declaration but at best a statement under Section 164. [*Shrawan Bhadaji Bhirad v. State of Maharashtra*, 2003 Cri LJ 398 (401) : AIR 2003 SC 199: 2003 (1) East Cri C 11 : 2003 (1) BLJ 570 : 2003 (1) Crimes 90 (SC)].

[1][164-A. Medical examination of the victim of rape.—(1) Where, during the stage when an offence of committing rape or attempt to commit

1. Ins. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005, Sec. 17.

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा—

"मैंने—(नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृतान्त इसमें है।

(हस्ताक्षर) क. ख.
मजिस्ट्रेट।

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो; तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(6) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

टिप्पणियाँ

संस्वीकृति कथन—तथ्यों एवं परिस्थितियों में—सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी स्वीकार्य तथा उसका स्वेच्छया किया जाना अभिकथित था—जब संस्वीकृति अभिलिखित की गयी थी, तो सभी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय परिसर से बाहर रखा गया था। संस्वीकृति पाँच पैराग्राफों में थी जिसमें सम्पूर्ण घटना पर्याप्त विस्तार से वर्णित थी। विद्यमान परिस्थितियों में, न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय से इस बात पर सहमत होना कठिन पाया कि कथन स्वेच्छया नहीं किया गया था। [*मध्य प्रदेश राज्य* ब० *भगवान सिंह*, 2002 क्रि० एल० जे० 3169 (3172): 2002 (3) एम० पी० एल० जे० 67 : 2002 (3) एम० पी० एच० टी० 130 (एम० पी०) (खण्डपीठ); और *देखें परमानन्दा पेगू* ब० *असम राज्य*, 2004 (5) एस० एल० टी० 360 : 2004 (6) सुप्रीम 343 (एस० सी०)]।

अननुपालन—मजिस्ट्रेट की साक्षी के रूप में परीक्षा करके ठीक नहीं किया जा सकता है—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के सारवान पहलू का पालन नहीं किया गया है तथा मजिस्ट्रेट की साक्षी के रूप में परीक्षा के पश्चात् भी, वह दोष जो संस्वीकृति में विद्यमान है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 463 के अधीन दूर नहीं किया गया है। संस्वीकृति सम्यक् रूप से अभिलिखित नहीं की गयी। [*गोवर्धन* ब० *झारखण्ड राज्य*, 2002 क्रि० एल० जे० 3301 : 2002 (3) ईस्ट क्रि० सी० 157 : 2002 (2) जे० सी० आर० 137 : 2002 (2) सी० सी० आर० 436 (झार०) (खण्डपीठ)]।

धारा 164 के अधीन बयान—किसी घटनाक्रम में, किसी विशिष्ट तिथि पर मृत्युकालिक कथन में किसी नाम का प्रकटीकरण एक निश्चित अभिप्राय के अनुरूप होना माना जाता है। परन्तु इससे पहले कि कोई बात आगे बढ़ा कर लिखी जाए कि यद्यपि कि ऐसी घोषणा कम प्रभाव रखे, फिर भी देख-भाल करने वाले डॉक्टर के प्रयास के कारण पीड़ित व्यक्ति बच जाता है और इस प्रकार मृत्युकालिक बयान के अति तीक्ष्ण अनुवीक्षण की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा बयान स्थापित हो जाए, तो उसे बहुत अच्छा परिणाम मानते हुए धारा 164 के अधीन दिया गया बयान माना जाएगा। [*श्रवण भादाजी भिरद* ब० *महाराष्ट्र राज्य*, 2003 क्रि० एल० जे० 398 (401) : ए० आई० आर० 2003 एस० सी० 199 : 2003 (1) ईस्ट क्रि० सी० 11 : 2003 (1) बी० एल० जे० 570 : 2003 (1) क्राइम्स 90 (एस० सी०)]।

[1][164-क. बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा—(1) जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।

rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted, examined by a medical expert, such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or a local authority and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner, with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within twenty-four hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offence.

(2) The registered medical practitioner, to whom such woman is sent, shall, without delay, examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely :

(i) the name and address of the woman and of the person by whom she was brought;

(ii) the age of the woman;

(iii) the description of material taken from the person of the woman for DNA profiling;

(iv) marks of injury, if any, on the person of the woman;

(v) general mental condition of the woman; and

(vi) other material particulars in reasonable detail.

(3) The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at.

(4) The report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained.

(5) The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report.

(6) The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigation officer who shall forward it to the Magistrate referred to in Section 173 as part of the documents referred to in clause (a) of sub-section (5) of that section.

(7) Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf.

Explanation.—For the purposes of this section, "examination" and "registered medical practitioner" shall have the same meanings as in Section 53.]

165. Search by police officer.—(1) Whenever an officer in-charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offence which he is authorised to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge, or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing

शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात्—

(i) स्त्री का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) स्त्री की आयु;

(iii) डी० एन० ए० प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन;

(iv) स्त्री के शरीर पर क्षति के यदि कोई है, चिन्ह;

(v) स्त्री की साधारण मानसिक दशा; और

(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्त्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है।

(5) परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलंब के, रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परीक्षा" और "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" के वही अर्थ हैं, जो उनके धारा 53 में हैं।]

165. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी—(1) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह सलग्न है, सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलम्ब के बिना तलाशी किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करके, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने